न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व अपील संख्या 03/2016

अपीलार्थीगण

1. सोहन पुत्र सुजाराम मेघवंशी उम्र 40 वर्ष निवासी ड़ाबड़ा
2. बुधाराम उम्र 45 वर्ष
3. जवानाराम उम्र 34 वर्ष
4. सुखराम उम्र 32 वर्ष पिसरान सुजाराम मेघवंशी
5. मनीराम उम्र 47 वर्ष
6. बालुराम उम्र 33 वर्ष पिसरान शंकरलाल
7. सजना उम्र 31 वर्ष पुत्री शंकरलाल
8. छोटी देवी उम्र 42 वर्ष पत्नि नानुराम उक्त मेघवंशी निवासी डाबड़ा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान जरिये मुख्त्यार आम सोहनलाल पुत्र सुजाराम मेघवंशी निवासी डाबड़ा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. ग्राम पंचायत जिलिया पंचायत समिति कुचामनसिटी जरिये सरपंच
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
3. श्रीमान हल्का पटवारी पटवार मण्डल जिलिया
4. भोलूराम पुत्र सूजाराम (मोतीराम) जाति मेघवंशी निवासी ग्राम आसपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांकित 26.06.1984 ग्राम पंचायत सरपंच ग्राम पंचायत जिलिया द्वारा ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 82 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा चाही प्रथम, खसरा नम्बर 43 रकबा 325 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 रकबा 3 बिस्वा किस्म बैरा बाबत अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित — श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता रेस्पो. सं. 4 कीक ओर से।

आदेश

दिनॉक :— 20.9.2019

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवार मण्डल जिलिया के मौजा ग्राम आसपुरा पूर्व में खालसा भूमि थी इसके पुराने खसरा नम्बर 43 रकबा 325 बीघा 2 बिस्वा में से 25 बीघा की खातेदारी थी उक्त खसरान के नवीन सेटलमेंट [illegible] वर्तमान खसरा नम्बर 110 118 रकबा 22.07 हैक्टर दर्ज [illegible] 81 रकबा 3 बिस्वा किस्म बेरा एवं खसरा नम्बर 82 रकबा 22 बीघा 4 बि[illegible] के 1/2 अर्थात 11 बीघा 4 बिस्वा हिस्से के खातेदार था उक्त खसरान के [illegible]न सेटलमेंट के बा[illegible]मान ख्सरा नम्बर 311 312 कुल रकबा 3.61 हैक्टर हो गये है। ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 43 81 82 की आराजी पूर्व में मोती पुत्र कानाराम जाति मेघवंशी साकिन देह विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकार अभिधृत काबिज खातेदार स्वरूप सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

2010 से जीवन पर्यन्त निरन्तर कृषि भूमि पर काश्त कर कृषि उत्पादन पर लगान भी अदा करते रहे है। मोती की पत्नि गलकुड़ी के संसर्ग से पुत्र सन्तान उत्तपन्न नही हुए केवल 2 पुत्रियॉ क्रमशः मीरा एवं पन्नी पैदा हुई उक्त मीरा देवी का विवाह सुजाराम जी के साथ हुआ अपीलार्थी संख्या 1 से 4 मीरादेवी के पूर्ण रक्त संबंधी पुत्रगण है एवं मीरादेवी का भी देहानत हो चुका है मोती गलकुड़ी के पुत्री पन्नी के पति शंकरलाल जी थे जिनके पूर्ण रक्त सम्बन्धी पुत्र पुत्रिया अपीलार्थी 5 से 8 है। अपीलार्थी गलकुड़ी पत्नि मोती की पुत्रियॉ मीरा व पन्नी के पुत्र–पुत्रिया होने के कारण धारा 16 के अधीन के वारिसान है जिनका विवरण परिशिष्ट "क" सजरा खानदान मे दिया गया है। राजस्व नियमानुसार यह सिद्वान्त है कि मृत खातेदार की स्वयं विधि अनुसार उसके उत्तराधिकारियो के हक में नामान्तरकरण कार्यवाही की जाकर राजस्व अंकन प्रविष्टि दर्ज की जाती है। अपीलार्थीगण के नाना जी मोतीराम व नानी गलकुड़ी जन्म से हिन्दू थे और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते थे, अपीलार्थीगण 1 से 8 की माता की माता अर्थात नानी गलकुड़ी की निर्वसियती मृत्यु के बाद गलकुड़ी की जीवित पुत्रिया मीरा देवी व पनूड़ी के हक के विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकार निहित हो गये थे और गलकूड़ी की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण की माता मीरा व पन्नूड़ी को नोटिस देकर नामान्तरकरण के संबंध में पक्ष की सुनवाई किये बगैरह ही रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ग्राम पंचायत जिलिया ने सर्वसम्मति से दत्तक ग्रहण की वैधानिका के संबंध में विधि प्रक्रिया अनुसार जांच किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में नामान्तरकरण पंजिका ग्राम आसपुरा प्रविष्टि संख्या 98 दिनॉक 26/06/1984 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने स्वीकृत कर दिया जो प्राकृतिक न्याया के सिद्वांतो के विरूद्व होकर असवैधानिक एवं अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, ग्राम आसपुरा के ही खसरा नम्बर 81 82 में सूजाराम के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को सुजाराम का पुत्र दर्शाकर गलकुड़ी की मृत्यु के बाद गंगोज के समय केवल पगड़ी के रस्म के संबंध में लिखित की गई सहमति के आधार पर स्वीकृति आलौच्य नामान्तरकरण पंजिका 98 दिनॉक 26.06.1984 प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावहीन एवं नोन ईस्ट होने के कारण अपास्त कर निरस्त करने योग्य है जबकि गलकूड़ी की मृत्यु के बाद प्रथम श्रेणी के वैध उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण की माता क्रमशः मीरादेवी, [illegible] र भू–राजस्व अधिनियम के तहत मृत खातेदार गलकूड़ी की स्व[illegible] अनुसार गलकूड़ी के स्थान पर नामान्तरकरण प्रविष्टियॉ [illegible] में स्वीकार किया जाना था लेकिन अपीलार्थीगण की [illegible] देवी के हितो को त्रुटित करने के आशय से स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 98 अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त बिना पंजिकृत गोदनामा के विवादित गोदनामा के संबंध में सर्वसम्मति के आधार पर महिल उत्तराधिकारियो के हितो के विरूद्व जाकर रेस्पो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

...3...

उपखण्ड अधिकारी

संख्या 4 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नही है इसलिए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 98 दिनॉक 26.06.84 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अवैध कार्यवाही होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मनमर्जी से बदनीयति पूर्वक कपटपूर्वक आलोच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि को निरस्त घोषित किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 82 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा चाही प्रथम, खसरा नम्बर 43 रकबा 325 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 रकबा 3 बिस्वा किस्म बैरा बाबत ग्राम पंचायत जिलिया द्वारा स्वीकृत से ग्राम आसपुरा की नामान्तरकरण पुस्तिका में दर्ज आलोच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि 98 दिनॉक 27.016.1984 को अपास्त कर निरस्त फरमावे एवं गलकूड़ी की मृत्यु के बाद प्रभावी स्वीय विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को आदेश प्रदान करावे। अपीलार्थी का सजरा खानदान निम्नवत है 5 :–

मोती पुत्र कानाराम (मृत)
↓
गलकूड़ी (मृत पत्नि)
↓
हिन्दू स्त्री के निवसीयती मृत्यु के बाद धारा 16 की प्रथम प्रविष्टि के दायद

मीरा (मृत) — सूजाराम (मीरा का मृत पति)
↓
सोहनलाल बुधाराम जवानाराम सुखाराम

पन्नी (मृत) — शंकरलाल (पन्नी का मृत पति)
↓
बालूराम सजना मनीराम नानूराम (मृत)
↓
छोटीदेवी (पत्नि)

अपील अपीलार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने जवाब प्रस्तुत नहीं [illegible]। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। दस्तावेजी साक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा नामा. संख्या 98 की प्रमाणित प्रति,पर्चा लगान, जमाबन्दी नकल [illegible] 2071 से 2074, 2038 से 2041, 2011 से 2014, 2019 से 2022, 2035 से 2038, 2038 से 2041, मुख्त्यारनामा की छाया प्रति प्रस्तुत की। तथा बहस दौरान नजीर आर.आर.टी 2002(1) पेज 567 से 571, आर.आर.टी. 2013 पेज1284, 1285, 1286 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया।
जमाबन्दी नकल सम्वत 2011–2014 ग्राम आसपुरा के गत खसरा नम्बर 43 रकबा 325 बीघा 2 बिस्वा बारानी द्वितीय में सुजा पुत्र काना 25 बीघा पांचु पुत्र काना 15 बीघा खेता पुत्र काना 25 बीघा आजू पुत्र झूंता 25 बीघा पेमला पुत्र झून्ता 25 बीघा उदा पुत्र गंगा 25 बीघा कुमला पुत्र मोड़ू 25 बीघा मोती पुत्र काना कौम बलाई सा. देह उदा पुत्र दला कुमार 50 बीघा मकबूजा जागीर, सम्वत 2019–2022 खसरा नम्बर 43 रकबा 225 बीघा में सुजीया पुत्र काना 25 बीघा खेता पुत्र काना 25 बीघा पांचीया पुत्र काना 25 बीघा आसु पुत्र झूंता 25 बीघा पेमला पुत्र झूंता 25 बीघा उदा पुत्र गंगा 25 बीघा कुमला पुत्र मोड़ू 25 बीघा मोती पुत्र काना बलाई उदा पुत्र दला कुमार 50 बीघा दर्ज है, इसी प्रकार अन्य जमाबन्दी में काना का नाम अन्य सहखातेदारान के साथ नाम दर्ज है। नकल खतौनी आसपुरा के खसरा नम्बर 81 रकबा 3 बिस्वा गै.मु.बैरा, खसरा नम्बर 83 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा चाही प्रथम खेता सुजा मोती पुत्र पांचीया बोदिया चौथिया पि. काना कौम बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2035–2038 में खेता सुजा पांचू चौथू पि.काना गलकूड़ी बेवा मोती कौम भाम्बी सा. देह खातेदार दर्ज है,नकल खतौनी सम्वत 2038–2041 में खेता सुजा पांचू पि. काना बलाई गलकूडी बैवा मोती कौम भाम्बी सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2038–41 ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 82 83 कुल रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा में खेता सूजा पांचू पि. काना गलकूड़ी बेवा मोती कौम भांबी सा. दहे खातेदार दर्ज है तथा नामा. सं.84 के अनुसार खेता सुजा पांचू के स्थान पर धापूड़ी स्त्री खेताराम भूरा हणमान भोलू पि. सूजा बाबूलाल पुत्र पांचू का नाम दर्ज किया गया, नामान्तरकरण संख्या 98 के द्वारा गलकूड़ी के स्थान पर भोलूराम खोले मोतीराम का नाम दर्ज किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2071 से 74 ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 311 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ खसरा नम्बर 312 रकबा 3.60 हैक्टर कुल रकबा 3.61 हैक्टर में भोलू खोले मोतीराम मंगाराम पुत्र खेतारा भोमाराम भुवानाराम जगदीश राजू पि. भूरा सुखली पत्नि भूरा रामेश्वरलाल पुत्र हणमान धापू पत्नि किशनलाल भोलू पुत्र सुजाराम धापूदेवी पत्नि रामेश्वरलाल कौम मेंघवंशी सा. देह दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2071–74 ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 110 118 कु[illegible]री पत्नि किशनलाल जाति मेघवाल सुखली पत्नि भूराराम भोमारा[illegible] जाति मेघवाल श्रवणराम पुत्र गोविन्दराम जाति बावरी [illegible] पुत्र हणमान धापू पत्नि किशनलाल भोलू पुत्र सुजा [illegible]म के हिस्से मे से ममतादेवी पत्नि जोधाराम कौम मेघवाल 0.3236 हैक्टर)3[illegible]0, नन्दाराम पुत्र लादूराम जाति मेघवंशी सा. सबलपुरा हि. 4.00 हैक्टर किरणदेवी पत्नि रामपाल जाति मेघवाल सा. सबलपुरा 1.62 हैक्टर मगा पुत्र खेता 1.00 हैक्टर दर हिस्सा 3/10 नन्दाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पुत्र लादूराम कौम मेघवंशी 1/5 सा. सबलपुरा भोलू पुत्र मोती 1/5 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है। पर्चा लगान अनुसार खसरा नम्बर 311 312 कुल रकबा 3.61 हैक्टर में भोलूराम खोले मोतीराम धापूड़ी स्त्री खेताराम भूरा हणमान भोलू पि. सुजाराम बाबूलाल पुत्र पांचूराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है। नामा. सं. 98 की नकल अनुसार आसपुरा के गत खसरा नम्बर 43 रकबा 325बीघा 2 बिस्वा में स्थित हिस्से गलकूड़ी बेवा मोती 25 बीघा एव गत खसरा नम्बर 82 83 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा में दर्ज हिस्से के स्थान पर कॉलम संख्या 14 अनुसर गलकूड़ी के जायन्दा लड़का नही होने से ग्राम सभा जिलिया में सर्म सम्मती के निर्णयानुसार गलकूड़ी ने अपनी जिवित अवस्था में भोलूराम के हिन्दू रीति रिवाज अनुसार गोल लिया इसलिए भोलूराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। चालू खतौनी सम्वत 2075–78 में ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 311 312 रकबा 3.61 हैक्टर में अन्य सह खातेदारान के साथ भोलू पुत्र सुजाराम का 1/6 हिस्सा एवं भोलू दत्तक पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/6 हिस्सा दर्ज है खसरा नम्बर 110 118 रकबा 22.07 हैक्टर में अन्य सह खातेदारान के साथ भोलू पुत्र मोती 1/5 हिस्सा एवं भोलू पुत्र सुजा 3119/44140 हिस्सा दर्ज है। अपीलार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.टी 2002(1) पेज 567 से 571, आर.आर.टी. 2013 पेज1284, 1285, 1286 की छाया प्रति भी इस प्रकरण पर लगभग चस्पा होती है।

प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम आसपुरा के गत खसरा नम्बर 43, 82,83 एवं नये खसरा नम्बर 110, 118, 311, 312 में मोती पुत्र काना के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही भूमि मे मोती की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नि गलकूड़ी के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ, तत्पश्चात गलकूड़ी की मृत्यु के बाद भोलूराम को दत्तक पुत्र बताया जाकर गलकूड़ी के स्थान पर नामान्तरकरण संख्या 98 दर्ज कर इस आशय का वर्णन कर *" गलकूड़ी के जायन्दा लड़का नही होने से ग्राम सभा जिलिया में सर्म सम्मती के निर्णयानुसार गलकूड़ी ने अपनी जिवित अवस्था में भोलूराम के हिन्दू रीति रिवाज अनुसार गोल लिया इसलिए भोलूराम के नाम नामान्तरकरण दिनॉक 26.6.1984 कर स्वीकार किया गया। "* जो विधिसम्मत नही है। चूॅकि मोती एवं गलकूड़ी के जीवित संताने उसकी लड़कियो के नाम उक्त भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी, भोलूराम के नाम उसके पिता सुजाराम की सम्पति भी इस खाते में दर्ज चली आ रही है। जबकि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर सम्पति [illegible] का नाम दत्तक पुत्र मोती एवं भोलूराम पुत्र सुजाराम दोनो ही दर्ज चले आ रहे है तथा भोलूराम द्वारा इस प्रकरण में किसी प्रकार की आपत्ति भी दर्ज नही कराई है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीयो के नाम भूमि दर्ज करने पर भोलूराम की मौन स्वीकृति अपने आप में जाहिर है। सजरा खानदान अनुसार मोती एवं गलकूड़ी के दो पुत्रिया मीरा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

......6......

उपखण्ड अधिकारी

पन्नी उत्पन्न हुई जिनकी मृत्यु पश्चात उनके पति सुजाराम एवं शंकरलाल रहे जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, वर्तमान में मीरा पत्नि सूजाराम के पुत्र सोहनलाल बुधाराम जवानाराम सुखाराम है तथा पन्नी पत्नि शंकरलाल के पुत्र बालूराम, मनीराम एवं पुत्री सजना, पुत्र नानूराम की मृत्यु पश्चात छोटी पत्नि स्व. नानूराम है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत अपीलार्थी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाये जाने के लिए मुश्तहक है। अपील अपीलार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः स्वीकार कर निम्नवत आदेश दिये जाते है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है और सरंपच ग्राम पंचायत जिलिया के नामान्तकरण प्रविष्टि ग्राम आसपुरा के नामा. संख्या 98 दिनॉक 26.06.1984 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित कियाक जाता है कि वह गुणवागुण के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

आदेश आज दिनॉक 20.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested